तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
11.6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पांयला खुर्द में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी की पहचान ग्राम पंचायत पायलां खुर्द सरपंच पति श्री हुकमाराम द्वारा दी गई। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए हैं। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार हैं। और अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहता हैं। विप्रार्थीगण बावजुद सुचना हाजिर नही हुए है। लिहाज प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी	हुकमाराम (सरपंच पति) हुकमाराम

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र पायलां खूर्द)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 28/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हुकमाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी– लूणा कलां, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. टीकमाराम पुत्र गोकलाराम 2. चौखाराम पुत्र जुगताराम 3. चन्दाराम पुत्र पुरखाराम 4. तेजाराम पुत्र खंगाराराम 5. गोरखनराम पुत्र रूगाराम 6. जेठाराम पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी लूणा कलां तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 7. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

आदेश

दिनांक–11.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लूणा कलां पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 107/2 व 227 रकबा क्रमशः 25–07 व 17–18 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम लूणा कलां पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 107/2 व 227 रकबा क्रमशः: 25–07 व 17–18 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लूणा कलां पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्यां 107/2 व 227 रकबा क्रमशः 25–07 व 17–18 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम लूणा कलां पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 107/2 व 227 रकबा क्रमशः 25–07 व 17–18 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4.हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम लूणा कलां पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 107/2 व 227 रकबा क्रमशः 25–07 व 17–18 बीघा भूमि के प्रार्थी रिकार्डड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2070 से 2073 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम लूणा कलां पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 107/2 व 227 रकबा क्रमशः 25–07 व 17–18 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान की पूर्व में तहसीलदार सिणधरी कार्यवाही करावें। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

शुल्क वहन करेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11/6/18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner